भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2197

उत्तर देने की तारीख : 12.02.2026

कालीन उद्योग पर प्रशुल्क का प्रभाव

2197. श्री पुष्पेंद्र सरोजः
एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान कालीन उद्योग का राज्य-वार और जिला-वार, विशेषकर उत्तर प्रदेश का निर्यात में कितना योगदान है;

(ख) प्रमुख विदेशी बाजारों में हाल ही में की गई प्रशुल्क कार्रवाइयों के कारण भारतीय कालीन उद्योग को राज्य-वार और उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार कितनी निर्यात राजस्व हानि का आकलन किया गया है;

(ग) कालीन क्षेत्र में कार्यरत कारीगरों और कामगारों की राज्य-वार और उत्तर प्रदेश के लिए जिला-वार संख्या कितनी है और क्रय आदेश रद्द होने, उत्पादन में कमी या नकदी की कमी के कारण अपनी आजीविका में बाधा का सामना कर रहे कारीगरों और कामगारों की संख्या कितनी हैं;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश में कालीन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ईसीएलजीएस अथवा किसी उत्तरवर्ती ऋण योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त हुई है और इसके लाभार्थी और राशि का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में पारंपरिक कालीन बुनाई आजीविका के नुकसान को रोकने के लिए रोजगार को बचाने और निर्यात विविधीकरण में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : पिछले पांच वर्षों के दौरान कालीन उद्योग के निर्यात योगदान का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है। उत्तर प्रदेश से कालीन निर्यात का जिला-वार विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(घ) : आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था ताकि पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी लिक्विडिटी की स्थिति को आसान बनाने में सहायता मिल सके। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र राशि के संबंध में 100% गारंटी के साथ पात्र उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए योजना प्रदान की गई है। यह योजना दिनांक 31.3.2023 तक वैध थी। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग सहित वस्त्र क्षेत्र में कुल 10,561 एमएसएमई को ईसीएलजीएस के तहत 783.63 करोड़ रुपए के ऋण की गारंटी दी गई।

(ङ) : कालीन उद्योग को लगातार वित्तीय और गैर-वित्तीय निर्यात संवर्धन उपायों के संयोजन के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है, जिसमें अन्यों के साथ-साथ: ब्रांडिंग और विपणन सहायता, विदेशी मेलों में भागीदारी के लिए बाजार पहुंच पहल योजना, ब्याज समानीकरण सहायता और शुल्क वापसी योजनाएं शामिल हैं।

सरकार एक व्यापक बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी प्रशुल्क संबंधी उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन विचार-विमर्श, भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापार में राहत संबंधी उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि निर्यात संवर्धन उपायों जैसे नया निर्यात संवर्धन मिशन, जो हमारे निर्यातकों को समर्थन और सहायता प्रदान करता है, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग करना शामिल है। आशा है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और लचीलापन बढ़ेगा।

उपर्युक्त कुछ उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

I. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए निर्यात प्रोत्साहन के लिए 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक समग्र, लचीला और डिजिटल संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम एक रणनीतिक बदलाव को चिन्हित करता है जो कई अलग-अलग स्कीमों से एक एकल स्कीम, परिणाम-आधारित और अनुकूल तंत्र की ओर दिशा परिवर्तन को दर्शाता है जो विश्व स्तर पर व्यापार संबंधी चुनौतियों और निर्यातकों के समक्ष उभरकर आने वाली आवश्यकताओं के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है।
यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

(क) निर्यात प्रोत्साहन - यह ब्याज सब्वेंशन, निर्यात फैक्टरिंग, कोलेटरल गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए क्रेडिट वृद्धि सहायता जैसे कई उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए रियायती व्यापार निधियन तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

(ख) निर्यात दिशा:-यह गैर-वित्तीय सहायता प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाजार की तत्परता (रेडीनेस) और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात वेयरहाउंसिंग और लॉजिस्टिक्स, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार सूचना और क्षमता-निर्माण पहलें शामिल हैं।

II. निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी अनुमोदित किया गया है**,** जिसके तहत सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए और उभरते बाजारों के विविधीकरण में सहायता प्रदान की जाती है। कोलेटरल-मुक्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने से लिक्विडिटी सुदृढ़ होगी और सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति भी सुदृढ़ होगी।

III. व्यापार राहत उपाय:- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण के लिए अवधि के विस्तार के प्रावधान सहित पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी किए हैं।

IV. मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना: सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और उसने कई प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार हमारे निर्यातकों को जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ काम कर रही है और हाल ही में संपन्न हुए एफटीए जैसे ईएफटीए देशों, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ बनाए गए अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ता भी पूरी की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई की सुदृढ़ता और उसके विकास को नई गति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं :

क. कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना एमएसई को दिए गए ऋण पर 10 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)।

ख. विकास करने और बड़ी इकाइयों के रूप में परिणत होने की संभावना और व्यवहार्यता वाले एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट करने हेतु आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 50,000 करोड़ रुपए के कोष के लिए भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और निजी पूंजी और उद्यम पूंजीगत कोषों के जरिए 40,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की सुयोग्य और पात्र इकाइयों को विकासशील पूंजी उपलब्ध करना है। बजट 2026-27 में सूक्ष्म उद्यमों को लगातार सहायता प्रदान करने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच को बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष को संपोषित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की गई है।

ग. एमएसएमई के लिए मिच्युअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई) सरकार की मदद से शुरू की गई एक पहल है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ऋण प्रदान करने में मदद करने हेतु बनाया गया है। यह स्कीम क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है जिससे एमएसएमई को खासकर जरूरी उपस्करों और मशीनरी के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह स्कीम ऋणप्रदाताओं (अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) द्वारा एमएसएमई को उपस्करों/मशीनरी की खरीद वाली परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करती है।

घ. संघीय बजट संबंधी घोषणा 2024-25 के उपरांत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सिडबी द्वारा एमएसएमई कलस्टरों तक अपनी पहुंच को बढ़ाने तथा उन्हें सीधे ऋण प्रदान करने के लिए देशभर में छब्बीस (26) शाखाएं खोली गई हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में 37 शाखाएं खोले जाने का प्रस्ताव है जिनमें से अब तक 34 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी अपनी पहुंच का विस्तार करने तथा दिनांक 31.03.2027 तक सभी प्रमुख एमएसएमई कलस्टरों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए नई शाखाएं खोलना जारी रखेगा।

ङ. सरकार द्वारा जीएसटी युक्तिकरण से एमएसएमई प्रत्यक्ष रूप से सुदृढ़ हुए हैं जिससे ऑटोमोबाइल, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है। जीएसटी की कम दरों के कारण कच्चा माल और सेवाएं ज्यादा वहनीय हो सकी हैं, जिससे लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को अपने कार्यकलापों को आगे बढ़ाने, नवोन्मेष संबंधी कार्यों में निवेश करने तथा घरेलू और वैश्विक दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।

अनुबंध-I

कालीन उद्योग पर प्रशुल्क का प्रभाव पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2197 जिसका उत्तर दिनांक 12/02/2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

2021-22 से कालीन निर्यात का राज्यवार विवरण					
					अमेरिकी डॉलर में मूल्य
राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर,25 तक)
आंध्र प्रदेश	9126	20712	1400	262	87
असम	22771	18695	4936	6409	184
बिहार	38688	25017	14927	58560	28846
चंडीगढ़	4124	0	3122	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	773	248	426
दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	17055634	1990409	1845633	2311512	1306769
दिल्ली	16348620	15830972	13902736	14788913	7532511
गोवा	25663	4898	1628	7556	0
गुजरात	82943430	33626096	25112538	20798373	11565990
हरियाणा	723705365	470930416	501121125	563654254	417002112
हिमाचल प्रदेश	26303	11814	0	5	2281
जम्मू और कश्मीर	12510953	6132794	4277781	3809573	3084853
झारखंड	501	693	2132	866	27892
कर्नाटक	1480049	516740	649865	512739	322681
केरल	98373679	72798515	96364617	115005225	88144723
मध्य प्रदेश	1722653	1530654	620105	828740	364203
महाराष्ट्र	25498825	17634048	20170948	20313832	14943994
पुडुचेरी	11604	6074	21374	777	1444
पंजाब	2426448	1190517	1039131	1054039	978905
राजस्थान	94734696	91146599	89668798	86631642	52212259
तमिलनाडु	16227562	12544345	19172511	25060133	15761338
तेलंगाना	4293624	2722630	107445	85784	77856
उत्तर प्रदेश	688827583	618968013	616529699	677829949	488252402
उत्तराखंड	1700130	1947372	3181831	6583756	2486296
पश्चिम बंगाल	947454	724209	1333962	1764304	346024
स्रोत: - डीजीसीआईएस					

अनुबंध-II

कालीन उद्योग पर प्रशुल्क का प्रभाव पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2197 जिसका उत्तर दिनांक 12/02/2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से उत्तर प्रदेश राज्य से कालीन निर्यात का जिलावार विवरण अमेरिकी डॉलर में मूल्य					
जिला	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर, 25 तक)
आगरा	33431746	39883023	44100117	38391935	23067917
अलीगढ	500789	114224	3013	2601	8449
अंबेडकरनगर	324	0	2863	0	0
अमरोहा	1487707	597893	445705	603046	373910
औरैया	18455	19580	2953	17299	8238
अयोध्या	13462	0	0	0	0
आजमगढ़	0	0	74168	0	0
बागपत	33892	149701	305253	500883	140356
बहराईच	8301	2644	13054	31737	16249
बाँदा	0	0	0	4076	0
बाराबंकी	0	1178	0	0	7021
बरेली	73623	15	5666	0	4512
भदोही	460463646	419871894	423425741	481060867	342485916
बिजनौर	818	0	0	0	0
शाहजहांपुर	7213	3865	0	0	0
बुलन्दशहर	3866	0	34238	6077	2165
चंदौली	0	2773	2648	183	0
चित्रकूट	0	7850	0	0	0
इटावा	0	1202	0	0	0
फर्रुखाबाद	0	0	983	0	0
फ़तेहपुर	4024	0	9941	567	0
फिरोजाबाद	3236	84041	304451	222070	110660
गौतमबुद्धनगर	11319265	7810964	11002849	9979150	9470061
गाजियाबाद	3932811	2525826	2715727	2826247	1611710
गाजीपुर	0	0	594	0	0
गोरखपुर	5944	2190	5065	899	18
हमीरपुर	547	0	714	75715	38330
हापुड	70	1460	42929	6600	0
हरदोई	0	69850	0	0	0
हाथरस	4717711	3040525	1892384	2117137	1499885
जालौन	0	0	0	3819	0
जौनपुर	3464518	3352435	2089613	2251590	2223048
कानपुर देहात	567958	893718	499986	384582	358143

कानपुर नगर	482430	789545	2776412	3564612	982462
खेरी	256	0	2959	66	93
लखनऊ	6392	21766	31663	9034	225817
महाराजगंज	378192	374237	208509	22636	30304
महोबा	0	34496	0	0	0
मैनपुरी	0	0	0	0	4675
मथुरा	599	91	266	0	274
मेरठ	14848445	11317599	7495646	10316036	10932799
मिर्जापुर	101513314	83380405	76859614	85413588	64656622
मुरादाबाद	1321220	1057021	1213429	1268936	670157
मुजफ्फरनगर	0	0	0	76866	175881
प्रयागराज	554090	461135	286767	43104	186739
रायबरेली	2846	0	0	0	0
रामपुर	5956	12327	552	6048	3361
सहारनपुर	1177	563146	1393221	616139	319
संभल	21877	6945	0	7096	2509
संतकबीरनगर	4206	5646	72258	17245	53706
सिद्धार्थनगर	120	897	5604	2769	1882
सीतापुर	14736212	12164785	10812561	10961145	7921540
उन्नाव	885991	916137	286374	187354	265427
वाराणसी	34004334	29424984	28103209	26830195	20711247
कुल	**688827583**	**618968013**	**616529699**	**677829949**	**488252402**
स्रोत:- डीजीसीआईएस					